श्रम विभाग

आदेश

13 जुलाई, 1984

सं. जो. वि./एफ.डी./1/63-84/24596.—चूंकि हरियाणा राज्यपाल के की राय है कि मै. के० एल० चावला एण्ड क० (कन्ट्रेक्टर) मार्फत इन्डो वूलन मिल्ज प्रा० लि० 14/4, मथुरा रोड़, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के कोई औद्योगिक विवाद हैं ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतू निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामलें) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामलें) है/हैं न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है ।

1. क्या श्रमिक नियुक्ति पत्र व स्थाई पत्र लेने के हकदार हैं, यदि हैं, तो किस विवरण में ?
2. क्या श्रमिक दो जोड़े वर्दी तथा धुलाई भत्ता 10 रु० प्रति माह की दर से लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

सं० जो.वि./एफ. डी./73-84/24610.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि मै० ऐसोसियेटिड इण्डस्ट्रीज 22 बी इण्डस्ट्रीयल ऐरिया, फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबंधकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ;

इसलिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7-क के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद, को नीचे विनिर्दिष्ट मामलें, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला(मामलें) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं : —

क्या श्रमिक 20 प्रतिशत की दर से वर्ष 1981-82 व 1982-83 के बोनस के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?

सं० जो०वि०/एफ०डी०/70-84/24652.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल, की राय है कि मै० ऐस० के० प्रौसेजर्स 22 ए० एन० आई० टी० फरीदाबाद, के श्रमिकों तथा प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले के सम्बन्ध में कोई औद्योगिक विवाद है ;

और चूंकि राज्यपाल, हरियाणा, इस विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियो का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 (क) के अधीन गठित औद्योगिक अधिकरण, हरियाणा, फरीदाबाद. को नीचे विनिर्दिष्ट मामले, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला (मामले) है/हैं, अथवा विवाद से संगत या सम्बन्धित मामला (मामले) है/हैं, न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं :—

1. क्या श्रमिक अपने हाजरी कार्ड लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?
2. क्या श्रमिक 20 प्रतिशत की दर से वार्षिक बोनस लेने के हकदार हैं ? यदि हां, तो किस विवरण में ?